अध्याय V

गुणवत्ता मानदंडों का उल्लंघन

अध्याय V: गुणवत्ता मानदंडों का उल्लंघन

शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी पूरी जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है। दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली शराब की गुणवत्ता और दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 एवं "थोक लाइसेंसधारी के अनुदान के लिए नियम और शर्तों" में निहित सक्षम प्रावधानों को सुनिश्चित करने में आबकारी विभाग की भूमिका से जुड़े विभिन्न मुद्दों को देखा गया था जिनका एल1 (आइएमएफएल) और एल1एफ (एफएल) के थोक लाइसेंसधारियों द्वारा पालन किया जाता है। विभिन्न अनियमितताएं देखी गईं जो परीक्षण रिपोर्टों की दोषपूर्ण क्रॉस चेक की ओर इशारा करती हैं। विभाग द्वारा अविश्वसनीय परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और स्वीकार किए जाने के मामले देखे गए। गुणवत्ता अनुपालन के लिए परीक्षण रिपोर्टें गैर-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से थीं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानदंडों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के पूर्ण अनुपालन वाली परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के बावजूद थोक लाइसेंसधारियों (एल1 और एल1एफ) के आवेदकों को लाइसेंस जारी किए गए थे।

5.1 परिचय

शराब स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता के मुद्दों से ग्रस्त है क्योंकि निर्माण प्रक्रिया में आसवन, शुद्धिकरण आदि के कई चरण शामिल हैं और निर्माता के पास लाभप्रदता बढ़ाने के लिए लागत में कटौती करने हेतु एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है। शराब गुणवत्ता नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है और इसमें संभावित दूषित पदार्थों, उनके नियंत्रण और उनके स्वीकार्य स्तरों की बहुत कठोर जांच शामिल है।

दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग के प्राथमिक उद्देश्य अर्थात शराब की बिक्री और खपत को विनियमित, नियंत्रित और निगरानी करने के अनुरूप है।

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 और थोक लाइसेंसधारी के नियम और शर्तों में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। शराब की विभिन्न श्रेणियों (व्हिस्की, रम, वोदका, बीयर आदि) के लिए एक लाइसेंसधारी विभिन्न परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है।

लेखापरीक्षा ने शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में आबकारी विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की नमूना जांच की है। इस प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न अभ्युक्तियों को इस अध्याय के बाद के पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

5.2 एफएसएसएआई अधिनियम/बीआईएस मानदंडों में लाइसेंस की शर्तों में अस्पष्टता/गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन न होना

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अधिनियम एल्कोहल को खाद्य पदार्थ के रूप में मान्यता देता है। एफएसएसएआई नियमित रूप से परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की एक सूची प्रकाशित करता है। एल्कोहलिक पेय पदार्थों के परीक्षण के लिए पैरामीटरों का उल्लेख खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहलिक पेय पदार्थ) विनियम 2018 में किया गया है। विभिन्न प्रकार की शराब के परीक्षण के लिए पृथक बीआईएस मानक भी हैं।

लेखापरीक्षा ने 2017-21 की अवधि के दौरान दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत बनाए गए नियमों, दिशा-निर्देशों आदि में उपलब्ध कराई गई शराब की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मौजूदा प्रावधानों और थोक लाइसेंस प्रदान करने के नियमों और शर्तों का विश्लेषण किया।

- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 7 में कहा गया है कि "शराब का आयात भारत में या उसके बाहर किसी भी स्थान से किया जा सकता है, बशर्ते कि यह आबकारी आयुक्त द्वारा सरकार की पूर्व स्वीकृति से दिए गए आदेश में आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप हो या यदि ऐसा आदेश नहीं दिया गया है, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा शराब की मानक शक्ति के संबंध में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप है।"

  लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त नियम 7 के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा अलग से कोई विनिर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए मौजूदा बीआईएस मानक शराब की गुणवत्ता को निर्देशित करते हैं।

  आगे यह देखा गया कि इसमें भारत के बाहर से आयातित टकीला के मामले में अस्पष्टता छोड़ दी, क्योंकि टकीला के लिए कोई बीआईएस विनिर्देश नहीं थे। भारत के बाहर से आयातित शराब की अन्य श्रेणियों के लिए, विभाग विदेशी

निर्माताओं से स्वीकार किए जाने वाले विनिर्देशों से संबंधित आदेश जारी करने में विफल रहा, जो कुछ अन्य विनिर्देशों (बीआईएस के अलावा) का पालन कर रहे होंगे।

- एल 1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियमों और शर्तों के खंड 7.3 (डी) में कहा गया है कि "लाइसेंसधारी को विशेष ब्रांड की गुणवत्ता के संबंध में सरकारी अधिकृत प्रयोगशाला या अन्य प्रतिष्ठित निजी संस्थान से प्रमाणपत्र देना होगा और यह प्रमाणित करना होगा कि यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करता है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है।"

  हालांकि इस प्रावधान में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि क्या सरकारी प्रयोगशाला या निजी प्रयोगशाला को एनएबीएल से मान्यता की आवश्यकता है।

- इसी तरह एल1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम और शर्तों के खंड 2.3 (बी) में कहा गया है कि "यह (अल्कोहल ड्रिंक) न्यूट्रल अल्कोहल (डबल डिस्टिल्ड), एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल आदि से बनाया जाएगा। दिल्ली में आयातित भारतीय शराब की प्रत्येक खेप के साथ इकाई के तकनीकी प्रमुख और आबकारी प्राधिकरण दोनों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित गुणवत्ता रिपोर्ट का एक प्रमाणपत्र संलग्न रहेगा जो यह प्रमाणित करेगा कि उत्पाद बीआईएस मानक के अनुसार है और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) से बने हैं।"

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त आवश्यकता के अनुपालन में 12 लाइसेंसधारियों से संबंधित 38 चयनित मामलों में से 16 में, इकाइयों से जुड़े स्थानीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए थे जिसमें, गुणवत्ता पैरामीटरों के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण दिए बिना कहा गया कि उत्पाद ईएनए से बनाया गया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। आठ मामलों में फाइल में कोई प्रमाणपत्र/रासायनिक रिपोर्ट नहीं मिली और एक मामले में एक रासायनिक रिपोर्ट दी गई थी (13 मामलों में ईएनए प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं थी)। हालांकि 24 रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों के संबंध में आबकारी विभाग की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई जो या तो प्रस्तुत नहीं किए गए थे या उनमें उल्लेखित गुणवता मानदंडों के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ब्रांड के पंजीकरण के समय आवेदक को एल1 आवेदक द्वारा किसी प्रकार का वचन/गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक था कि उसका उत्पाद बीआईएस मानक की पुष्टि करेगा। आगे यह उल्लेख किया कि इकाई के तकनीकी प्रमुख और आबकारी प्राधिकरण द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र इस नियम और शर्त का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाइसेंसधारी द्वारा एक वचनबद्धता प्रस्तुत करना बीआईएस विनिर्देशों के पालन की कोई गारंटी नहीं थी। पैरा 7.3 (डी) के अनुसार, लाइसेंसधारी को आवश्यकतानुसार एक प्रमाणपत्र देना था। इसके अतिरिक्त एफएसएसएआई अधिनियम के अनुसार एक गैर-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला बीआईएस अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकती है इसलिए इन-हाउस प्रयोगशाला ऐसा करने के लिए योग्य नहीं थी। हालांकि एफएसएसएआई अधिनियम का अनुपालन आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी और आबकारी नीति के नियमों और शर्तों में इसे शामिल नहीं करना आबकारी विभाग/सरकार की एक कमी थी। इसके अलावा, निर्माण इकाई से जुड़े आबकारी प्राधिकरण ईएनए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए योग्य नहीं थे।

ऊपर वर्णित नियम 7 के अनुसार विभाग लाइसेंसधारी द्वारा पालन किए जाने वाले विनिर्देशों के संबंध में कोई विशिष्ट आदेश जारी करने में विफल रहा।

अनुशंसा 5.1: नियमों और शर्तों में एफएसएसएआई मानदंडों के विरुद्ध सत्यापन का उल्लेख विशेष रूप से किया जाना चाहिए ताकि पालन किए जाने वाले मानदंडों के संबंध में कोई अस्पष्टता न हो।

5.3 आबकारी विभाग द्वारा अमान्य गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों की स्वीकृति

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 7 के अनुसार जैसाकि पूर्व पैराग्राफ में कहा गया है, चूंकि आबकारी आयुक्त द्वारा कोई गुणवत्ता विनिर्देश अधिसूचित नहीं किया गया है, उन्हें एल्कोहलिक क्षमता के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप होना होगा।

लेखापरीक्षा ने 12 एल1 लाइसेंसधारियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच की जिन्हें 2017-20 की अवधि के दौरान लाइसेंस जारी किए गए थे। इन 12 लाइसेंसधारियों ने 15 प्रयोगशालाओं से किए गए गुणवत्ता परीक्षणों के संबंध में 173 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत एवं आबकारी विभाग द्वारा

स्वीकार किए गए गुणवत्ता परीक्षण प्रमाण-पत्रों के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे देखे गए।

- इन 15 प्रयोगशालाओं में से तीन प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं थीं, दो प्रयोगशालाएं मादक पेय पदार्थों के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थीं, दो प्रयोगशालाएं जैविक परीक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं थीं और एक प्रयोगशाला रासायनिक विश्लेषण करने के लिए अधिकृत नहीं थी (**अनुलग्नक VII**)। विभाग को एनएबीएल से इन प्रयोगशालाओं की स्थिति का सत्यापन करना चाहिए और उसके बाद उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

- खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एफएसएसएआई दिशानिर्देश के परिशिष्ट 3 (बी) के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट के प्रपत्र में नमूने पर एक "राय" (उदाहरण के लिए मानव उपभोग के लिए उपयुक्त) शामिल होती है।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि 173 परीक्षण प्रमाणपत्रों में से केवल 9 में उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक राय शामिल थी, जिसके बिना रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी।

विभाग ने अपने जवाब में कहा कि नियम एवं शर्तों के अनुसार एनएबीएल से मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक खाद्य व्यवसाय को एफएसएसएआई के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए और एफएसएसएआई अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल से मान्यता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उजागर की गई अधिकतर प्रयोगशालाएं वास्तव में स्वयं विनिर्माताओं से जुड़ी हुई थीं। यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विभाग के पास गुणवत्ता जांच का कोई तृतीय पक्ष निरीक्षण नहीं था। आबकारी विभाग ने इन अवैध गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया जो कर्मठता की कमी को दर्शाता है।

अनुशंसा 5.2: एक प्रामाणिक और निष्पक्ष परीक्षण रिपोर्ट के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परीक्षण रिपोर्ट जारी करने वाली प्रयोगशालाओं को शराब के प्रासंगिक मापदंडों के परीक्षण के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

5.4 अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद लाइसेंस जारी करना

2017-21 की अवधि के लिए 12 एल1 लाइसेंसधारियों (आईएमएफएल) और 3 एल1एफ (एफएल) लाइसेंसधारियों से संबंधित फाइलों की जांच में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया में कई कमियां सामने आईं जिसका विवरण बाद के पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

5.4.1 बीआईएस मानदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद एल1 लाइसेंस (आईएमएफएल) जारी करना

लाइसेंस की शर्तों के अनुसार प्रत्येक एल1 लाइसेंसधारी को बीआईएस मानकों का पालन करते हुए एक गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। बीआईएस विनिर्देशों के विवरण **तालिका 5.1** में दिये गये है।

तालिका 5.1: बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार परीक्षणों की संख्या

क्र.सं.	शराब का प्रकार	विनिर्देश	परीक्षणों की संख्या
1	बीयर	आईएस 3865: 2001, आईएस 7585 (सल्फर डाइऑक्साइड), पेयजल- विनिर्देश आईएस 10500: 2012	11
2	रम	आईएस 3811: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	14
3	जिन	आईएस 4100: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	14
4	व्हिस्की	आईएस 4449: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	12
5	वोदका	आईएस 5286: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	13
6	वाईन	आईएस 7058: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	20
7	कम मादक पेय पदार्थ	आईएस 15588:2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	15

लेखापरीक्षा द्बारा 12 विभिन्न एल1 लाइसेंसधारियों द्वारा आपूर्ति की गई 173 ब्रांड की शराब (व्हिस्की, रम, वोदका, जिन, बीयर, मिश्रित मादक पेय पदार्थ, वाइन आदि) और लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता अनुपालन के प्रमाणपत्रों की जांच की गई जिन्हें आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था और लाइसेंस जारी किए गए थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना-जांच किए गए किसी भी 12 एल1 लाइसेंसधारियों द्वारा उनके आवेदन के साथ गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के पश्चात भी आबकारी विभाग द्वारा बिना किसी टिप्पणी/आपत्ति के लाइसेंस जारी किए गए थे।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 12 लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टों **(अनुलग्नक VIII)** की जांच में निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

- नमूना-जांच किए गए 12 एल1 लाइसेंसधारियों के संबंध में, बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार 2,323 मापदंडों का परीक्षण किया जाना था। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि 37 *प्रतिशत* परीक्षण बिल्कुल नहीं किया गया और दो *प्रतिशत* मापदंडों का बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार परीक्षण नहीं किया गया था/आंशिक किया गया था। शेष में से नौ *प्रतिशत* मापदंडों के लिए परीक्षण मूल्यों को ठीक से रिपोर्ट नहीं किया गया था। इस प्रकार मात्र 52 *प्रतिशत* परीक्षण बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार किए गए थे।
- बीयर के संबंध में, सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण अनिवार्य थे। नमूना जांच किए गए 12 एल1 लाइसेंसधारियों में से तीन लाइसेंसधारियों ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान बीयर के 31 ब्रांड पंजीकृत किए थे। हालांकि, बीयर के 31 ब्रांडों में से केवल छः के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण प्रस्तुत किए गए थे।
- सभी श्रेणी की शराब के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य था। प्रस्तुत की जाने वाली 173 परीक्षण रिपोर्टों में से 96 *प्रतिशत* मामलों में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई और शेष मामलों में आंशिक रिपोर्ट प्रदान की गई।
- सभी श्रेणियों की शराब के लिए रिपोर्ट में घोषित किए जाने वाले हानिकारक अवयवों से मुक्ति भी एक आवश्यक मापदंड है। उदाहरण- बीयर "क्लोरल हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पाइरीडीन डायजेपाम और पैराल्डिहाइड से मुक्त होगी"। नमूना जांच किये गये प्रकरणों में 173 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने थे जिनमें से केवल 13 प्रकरणों में अनुपालन दर्शाया गया था।
- अनुचित रूप से डिस्टील किए गए शराब में मिथाइल अल्कोहल की उपस्थिति अल्कोहल विषाक्तता का प्रमुख कारण है और इसलिए, सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता है। 2017-20 की अवधि के दौरान आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित 173 ब्रांडों के लिए 173 परीक्षण किए जाने थे। हालांकि यह पाया गया कि चार मामलों में मिथाइल अल्कोहल के लिए कोई परीक्षण नहीं किया गया था। 56 मामलों में, रिपोर्ट में पता लगाने की सीमा/मानदंड निर्दिष्ट किए बिना अस्पष्ट रूप से "मिथाइल अल्कोहल नहीं मिला/नकारात्मक" का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली शराब में मिथाइल अल्कोहल की उपस्थिति के लिए उचित रूप से परीक्षण नहीं किया गया था जो गंभीर जोखिम को दर्शाता है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मेथनॉल परीक्षण के दो तरीके हैं, एक तरीके में पीपीएम में पहचान सीमा बताना संभव है, दूसरे तरीके के संबंध में पीपीएम में उपस्थिति बताना संभव नहीं है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईएस 3753:2005 के अनुसार, दोनों तरीकों से मेथनॉल की सटीक सांद्रता (v/v) का पता लगाना संभव है।

सरकार ने अपने जवाब में आगे कहा कि मापदंडों के विवरण का कहीं भी उल्लेख नहीं है जिस पर परीक्षण किया जाना है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अल्कोहल और पानी आदि की विभिन्न श्रेणियों के लिए बीआईएस विनिर्देशों में मानदंड स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

आबकारी विभाग ने प्रस्तुत प्रतिवेदनों की गहन जांच नहीं की। विशेष रूप से, किसी एक भी ब्रांड की सभी परीक्षण रिपोर्ट बीआईएस मानकों का अनुपालन करते हुए प्रस्तुत नहीं की गई।

अनुशंसा 5.3: दिल्ली आबकारी विभाग को अल्कोहल की गुणवत्ता की सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए और बीआईएस मानकों द्वारा निर्धारित मानदंडों से ओर ऊपर जाकर कड़े गुणवत्ता मानक तैयार करना चाहिए। दिल्ली आबकारी नियम 7 ऐसे विनिर्देशों को स्पष्ट रूप से तैयार करने के लिए एक सक्षम प्रावधान है।

5.4.2 गुणवत्ता आश्वासन के बिना एल1एफ लाइसेंस प्रदान करना तथा विदेशी शराब की आपूर्ति करना

एल1एफ के लिए लाइसेंस के नियम और शर्तों के खंड 7.9 में कहा गया है कि शराब की गुणवत्ता आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किसी भी विनिर्देशों का पालन करना चाहिए और यदि ऐसा कोई विनिर्देश निर्धारित नहीं है, तो उसे बीआईएस मानकों या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशों का पालन करना चाहिए। 2017-21 की अवधि के लिए, लेखापरीक्षा ने तीन विभिन्न एल1एफ लाइसेंसधारियों द्वारा आपूर्ति की गई शराब (व्हिस्की, रम, वोदका, जिन, बीयर, मिश्रित मादक पेय पदार्थ, वाइन आदि) के ब्रांडों के लिए की गई रिपोर्ट/परीक्षणों की जांच की और लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया गुणवत्ता अनुपालन के प्रमाणपत्र की जांच की गई जिसमें निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

1. नमूना जांच के लिए चयनित तीन एल1एफ में से विभिन्न श्रेणियों के लिए बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले गुणवत्ता परीक्षणों की संख्या 5280 (कुल) थी। हालांकि, परीक्षण प्रतिवेदनों की जांच से पता चला कि केवल 35.64 *प्रतिशत* परीक्षण बीआईएस विनिर्देश के अनुसार किए गए थे, 64.17 *प्रतिशत* परीक्षण लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नहीं किए गए थे। किए गए परीक्षणों का श्रेणी-वार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 5.2: आवश्यक और किए गए परीक्षणों की संख्या

श्रेणी	कंपनियों की संख्या	संबंधित परीक्षण रिपोर्टें[35]	बीआईएस के अनुसार किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या	बीआईएस के अनुसार वास्तव में किए गए परीक्षणों की संख्या	बिल्कुल नहीं किए गए परीक्षणों की संख्या	बीआईएस के अनुसार नहीं किया गया/आंशिक अनुपालन
व्हिस्की	2	130	1560	650	904	6
रम	1	4	56	16	40	0
बीयर	3	51	576	162	414	0
जिन	2	15	210	86	124	0
वोदका	2	26	338	106	231	1
वाइन	2	127	2540	862	1675	3
	कुल	**353**	**5280**	**1882**	**3388**	**10**
	प्रतिशतता			35.64%	64.17%	

2. ब्रांड पंजीकरण (58.70 *प्रतिशत*) के 226 मामलों में, इन-हाउस प्रयोगशालाओं या संबंधित कंपनियों से गुणवत्ता अनुपालन रिपोर्ट प्रदान की गई या रिपोर्ट प्रदान ही नहीं की गई थी। ऐसी रिपोर्टें शराब की गुणवत्ता के स्वतंत्र मूल्यांकन का वर्णन नहीं करती थीं और इसलिए भरोसेमंद नहीं थीं।

3. 35 मामलों में चालू वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई या पिछले वर्षों के दौरान पहले ही प्रस्तुत रिपोर्ट सुसज्जित की गई थी। विभाग ने इस तरह के कार्य पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

4. 254 मामलों (65.97 *प्रतिशत*) में, रिपोर्ट में परीक्षण अनुपालन के लिए अपनाए गए अंतराष्ट्रीय मानक का उल्लेख नहीं था या अंतराष्ट्रीय मानकों को लागू नहीं किया गया था या रिपोर्ट बिल्कुल भी प्रदान नहीं की गई थी। इस तरह के स्वतंत्र मानक के अभाव में शराब की गुणवत्ता को सिद्ध करना मुश्किल था।

[35] 32 परीक्षण रिपोर्टें जो अंग्रेजी में नहीं थी, सारांश में शामिल नहीं की गई थी

5. बीयर और वाइन के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षणों की आवश्यकता अनिवार्य है। बीयर के 40 ब्रांड पंजीकरण (78.43 *प्रतिशत*) के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण नहीं किए गए थे। वाइन के लिए, 125 ब्रांड पंजीकरणों (98.43 *प्रतिशत*) ने मोल्ड, जीवाणु वृद्धि आदि के लिए मानकों के विरुद्ध परीक्षण रिपोर्ट प्रदान नहीं की थी। 32 मामलों में अनुपालन सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि रिपोर्ट अंग्रेजी के अलावा भाषाओं में थी।
6. शराब की सभी श्रेणियों के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य था। 353 ब्रांडों में से किसी ने भी पानी की गुणवत्ता के लिए अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया था।
7. शराब की सभी श्रेणियों के लिए रिपोर्ट में घोषित किए जाने वाले हानिकारक अवयवों से स्वतंत्रता भी एक आवश्यक मानदंड है। नमूना जांच किए गए मामलों में, 353 ब्रांडों में से केवल तीन ने ही शर्तों का अनुपालन प्रस्तुत किया था।
8. शराब के लिए मिथाइल अल्कोहल का स्तर इसकी गंभीर विषाक्तता के कारण महत्वपूर्ण है। 207 ब्रांड पंजीकरण (58.64 *प्रतिशत*) के मामले में, रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल के स्तर का उल्लेख नहीं किया गया था या रिपोर्ट बिल्कुल भी प्रदान नहीं की गई थी। इस प्रकार, इनका कोई अनुपालन स्थापित नहीं किया जा सका।
9. एल1 के समान, खुदरा वितरण से पहले बैचों/खेप का कोई नमूना नहीं लिया गया था।
10. प्रस्तुत की जाने वाली कुल 385 परीक्षण रिपोर्टों में से, प्रस्तुत 196 (50.91 *प्रतिशत*) परीक्षण रिपोर्ट एक वर्ष से अधिक पुरानी थी/या कोई परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी/तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था। एक मामले में नौ वर्ष पुरानी एक परीक्षण रिपोर्ट को आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए स्वीकार किया गया था। इस प्रकार आपूर्ति की गई शराब के बारे में कोई गुणवत्ता का दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिपोर्टें पूरी तरह से अलग, पुराने बैचों की थी।

एफएल के लिए गुणवत्ता परीक्षणों का विवरण **अनुलग्नक IX** में दिया गया है।

इसी प्रकार आईएमएफएल (एल1) के घरेलू ब्रांडों के मामले में, विदेशी शराब आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता रिपोर्ट के मामले में काफी हद तक अनुपालन नहीं

किया गया था। इसके अलावा, विभाग ने विशिष्ट मानकों का पालन करने का सुझाव नहीं दिया है, जो अस्पष्टता को दर्शाता है। विदेशी शराब (जैसे टकीला) के कुछ मामलों में बीआईएस मानदंड मिथाइल अल्कोहल के स्वीकार्य स्तर को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। टकीला के लिए मिथाइल अल्कोहल का स्तर व्हिस्की के लिए स्वीकार्य स्तर से काफी अधिक है। विभाग ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके अलावा आवेदन की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुरानी परीक्षण रिपोर्ट (विभाग द्वारा) की स्वीकृति अनियमित थी। लाइसेंस प्रदान करने के लिए पुरानी, अमान्य और अस्पष्ट परीक्षण रिपोर्टों को स्वीकार करने में इस तरह की लापरवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।

अनुशंसा 5.4: बीआईएस/एफएसएसएआई मानदंडों के आधार पर परीक्षण रिपोर्टों के सत्यापन से संबंधित चेकलिस्ट/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जानी चाहिए। लागू गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चेकलिस्ट/ एसओपी के आधार पर जाँच को सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

5.5 लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत संदिग्धता परीक्षण प्रमाणपत्र आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किए गए

(क) कार्ल्सबर्ग एलिफैंट प्रीमियम बीयर, टुबौर्ग गोल्ड बियर, टुबौर्ग क्लासिक स्ट्रौंग बीयर **(चित्र 5.1)**, टुबौर्ग ब्लैक सुपर प्रीमियम स्ट्रॉग बीयर, और कार्ल्सबर्ग स्मूथ चिल ऑल माल्ट प्रीमियम बीयर के संबंध में मोहन गोल्ड वाटर के नमूना जांच किए गए एल1 लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों (2018-19 के पांच प्रमाणपत्र तथा 2019-20 के पांच प्रमाणपत्र) की जांच करने पर यह पाया गया कि रिपोर्ट समान है तथा प्रत्येक वर्ष लाइसेंस आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट अनुक्रम संख्या तथा नमूना बैच संख्या को बदलने के लिए परिवर्तन किया गया।

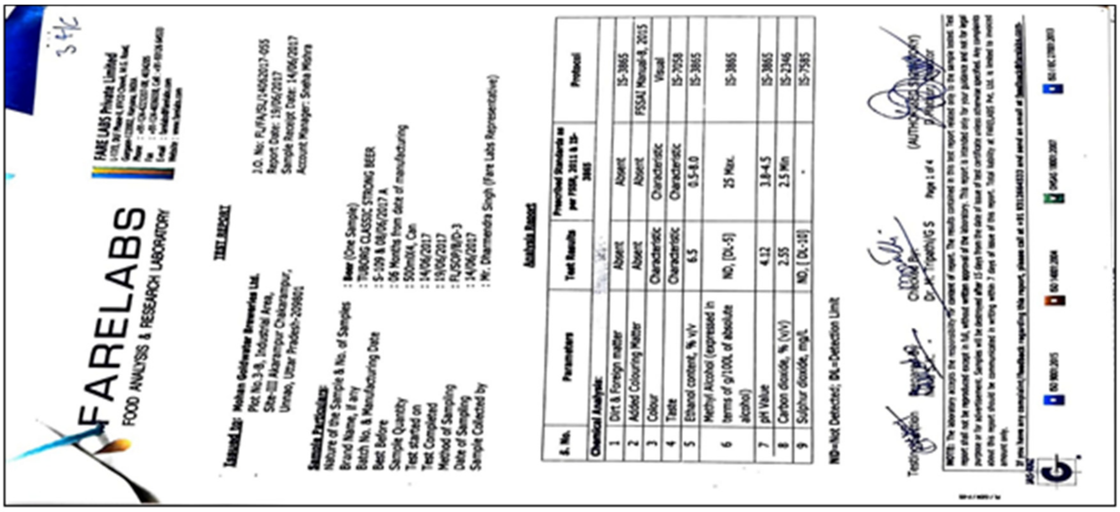

FARELABS
FOOD ANALYSIS & RESEARCH LABORATORY

FARE LABS Private Limited

TEST REPORT

Issued to: Mohan Goldwater Breweries Ltd.
Plot No.3-B, Industrial Area,
Site-III Akarampur Chakarampur,
Unnao, Uttar Pradesh-209801

J.O. No: FL/FA/SL/14062017-055
Report Date: 19/06/2017
Sample Receipt Date: 14/06/2017
Account Manager: Sneha Mishra

Sample Particulars:

Nature of the Sample & No. of Samples	: Beer (One Sample)
Brand Name, if any	: TUBORG CLASSIC STRONG BEER
Batch No. & Manufacturing Date	: S-109 & 08/06/2017 A
Best Before	: 06 Months from date of manufacturing
Sample Quantity	: 500mlX4, Can
Test started on	: 14/06/2017
Test Completed	: 19/06/2017
Method of Sampling	: FL/SOP/B/D-3
Date of Sampling	: 14/06/2017
Sample Collected by	: Mr. Dharmendra Singh (Fare Labs Representative)

Analysis Report

S. No.	Parameters	Test Results	Prescribed Standards as per FSSR, 2011 & IS-3865	Protocol
Chemical Analysis:				
1	Dirt & Foreign matter	Absent	Absent	IS-3865
2	Added Colouring Matter	Absent	Absent	FSSAI Manual-8, 2015
3	Colour	Characteristic	Characteristic	Visual
4	Taste	Characteristic	Characteristic	IS-7058
5	Ethanol content, % v/v	6.5	0.5-8.0	IS-3865
6	Methyl Alcohol (expressed in terms of g/100L of absolute alcohol)	ND, [DL-5]	25 Max.	IS-3865
7	pH Value	4.12	3.8-4.5	IS-3865
8	Carbon dioxide, % (v/v)	2.55	2.5 Min	IS-2346
9	Sulphur dioxide, mg/L	ND, [DL-10]	-	IS-7585

ND=Not Detected; DL=Detection Limit

Testing Section | Checked By: Dr. M. Tripathi/G S | Page 1 of 4 | (AUTHORIZED SIGNATORY) Director

NOTE: The laboratory accepts the responsibility for content of report. The results contained in this test report related only to the sample tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. This report is intended only for your guidance and not for legal purpose or for advertisement. Samples will be destroyed after 15 days from the date of issue of test certificate unless otherwise specified. Any complaints about this report should be communicated in writing within 7 days of issue of this report. Total liability of FARELABS Pvt. Ltd. is limited to invoiced amount only.

If you have any complaint/feedback regarding this report, please call at +91 9312664533 and send an email at feedback@farelabs.com

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 | ISO/IEC 27001:2013

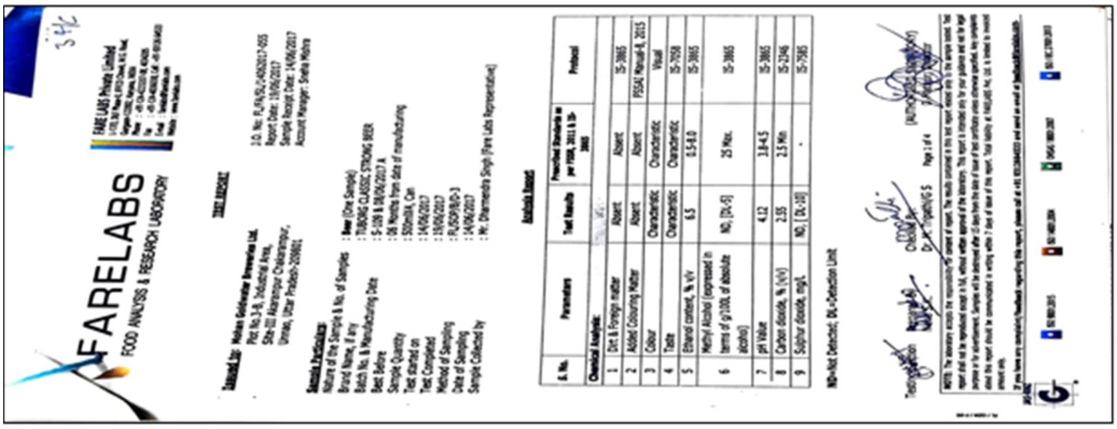

FARELABS
FOOD ANALYSIS & RESEARCH LABORATORY

FARE LABS Private Limited

TEST REPORT

Issued to: Mohan Goldwater Breweries Ltd.
Plot No.3-B, Industrial Area,
Site-III Akarampur Chakarampur,
Unnao, Uttar Pradesh-209801

J.O. No: FL/FA/SL/14062017-055
Report Date: 19/06/2017
Sample Receipt Date: 14/06/2017
Account Manager: Sneha Mishra

Sample Particulars:

Nature of the Sample & No. of Samples	: Beer (One Sample)
Brand Name, if any	: TUBORG CLASSIC STRONG BEER
Batch No. & Manufacturing Date	: S-109 & 08/06/2017 A
Best Before	: 06 Months from date of manufacturing
Sample Quantity	: 500mlX4, Can
Test started on	: 14/06/2017
Test Completed	: 19/06/2017
Method of Sampling	: FL/SOP/B/D-3
Date of Sampling	: 14/06/2017
Sample Collected by	: Mr. Dharmendra Singh (Fare Labs Representative)

Analysis Report

S. No.	Parameters	Test Results	Prescribed Standards as per FSSR, 2011 & IS-3865	Protocol
Chemical Analysis:				
1	Dirt & Foreign matter	Absent	Absent	IS-3865
2	Added Colouring Matter	Absent	Absent	FSSAI Manual-8, 2015
3	Colour	Characteristic	Characteristic	Visual
4	Taste	Characteristic	Characteristic	IS-7058
5	Ethanol content, % v/v	6.5	0.5-8.0	IS-3865
6	Methyl Alcohol (expressed in terms of g/100L of absolute alcohol)	ND, [DL-5]	25 Max.	IS-3865
7	pH Value	4.12	3.8-4.5	IS-3865
8	Carbon dioxide, % (v/v)	2.55	2.5 Min	IS-2346
9	Sulphur dioxide, mg/L	ND, [DL-10]	-	IS-7585

ND=Not Detected; DL=Detection Limit

Testing Section | Checked By: Dr. M. Tripathi/G S | Page 1 of 4 | (AUTHORIZED SIGNATORY) Director

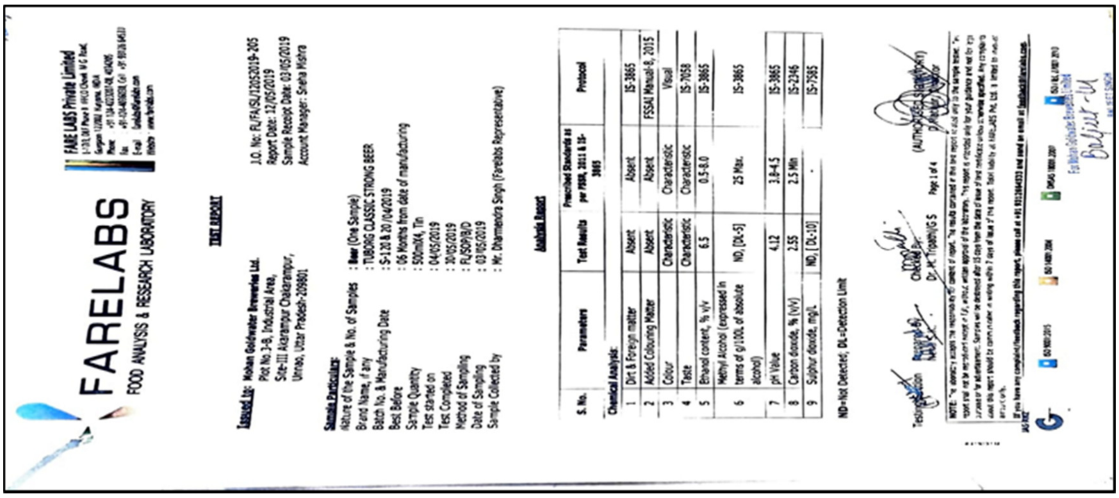

FARELABS
FOOD ANALYSIS & RESEARCH LABORATORY

FARE LABS Private Limited

TEST REPORT

Issued to: Mohan Goldwater Breweries Ltd.
Plot No.3-B, Industrial Area,
Site-III Akarampur Chakarampur,
Unnao, Uttar Pradesh-209801

J.O. No: FL/FA/SL/12052019-205
Report Date: 12/05/2019
Sample Receipt Date: 03/05/2019
Account Manager: Sneha Mishra

Sample Particulars:

Nature of the Sample & No. of Samples	: Beer (One Sample)
Brand Name, if any	: TUBORG CLASSIC STRONG BEER
Batch No. & Manufacturing Date	: S-120 & 20/04/2019
Best Before	: 06 Months from date of manufacturing
Sample Quantity	: 500mlX4, Tin
Test started on	: 04/05/2019
Test Completed	: 10/05/2019
Method of Sampling	: FL/SOP/B/D
Date of Sampling	: 03/05/2019
Sample Collected by	: Mr. Dharmendra Singh (Farelabs Representative)

Analysis Report

S. No.	Parameters	Test Results	Prescribed Standards as per FSSR, 2011 & IS-3865	Protocol
Chemical Analysis:				
1	Dirt & Foreign matter	Absent	Absent	IS-3865
2	Added Colouring Matter	Absent	Absent	FSSAI Manual-8, 2015
3	Colour	Characteristic	Characteristic	Visual
4	Taste	Characteristic	Characteristic	IS-7058
5	Ethanol content, % v/v	6.5	0.5-8.0	IS-3865
6	Methyl Alcohol (expressed in terms of g/100L of absolute alcohol)	ND, [DL-5]	25 Max.	IS-3865
7	pH Value	4.12	3.8-4.5	IS-3865
8	Carbon dioxide, % (v/v)	2.55	2.5 Min	IS-2346
9	Sulphur dioxide, mg/L	ND, [DL-10]	-	IS-7585

ND=Not Detected; DL=Detection Limit

Testing Section | Checked By: Dr. M. Tripathi/G S | Page 1 of 4 | (AUTHORIZED SIGNATORY) Director

For Mohan Goldwater Breweries Limited

चित्र 5.1: लैब परीक्षण रिपोर्ट

(ख) एल्कोपॉप के दो ब्रांडों (वर्ष 2019-20 के लिए लिमोन फ़िज़ और ऑरेंज फिज) के एक अन्य मामले में परीक्षण मापदंडों के सभी मूल्य समान थे जो सांख्यिकीय रूप से काफी असंभव है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लाइसेंस प्रदान करते समय पिछले वर्ष की रासायनिक रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाता है और लाइसेंसधारी से संदिग्ध जाली रासायनिक रिपोर्ट के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाइसेंसधारी से स्पष्टीकरण मांगने के बजाय मामले को सत्यापित करने के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था।

अनुशंसा 5.5: फोरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन किया जाए और मामले की जांच की जानी चाहिए। ऐसी गंभीर चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

5.6 गलत श्रेणी में ब्रांड का अनियमित पंजीकरण

नमूना-जांच किए गए लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता परीक्षण-प्रमाणपत्रों के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि आबकारी विभाग द्वारा एक ब्रांड इंडो स्पिरिट बेवरेजेज (एल1) के, 'ब्रो कोड क्राफ्टेड ब्रूट 5' को 2018-19 को "वाईन" की श्रेणी के तहत अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्र 'वाईन' श्रेणी के बजाय 'कम मादक पेय पदार्थ' श्रेणी के लिए था। हालांकि, इन प्रमाणपत्रों को आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था और लाइसेंसधारी ने 61,488 बोतलें (वर्ष 2018-19 के लिए 59,064 और वर्ष 2019-20 के लिए 2,424) बेचीं।

अप्रैल 2019 में आबकारी विभाग ने एफएसएसएआई मानदंडों का पालन नहीं करने के संबंध में लाइसेंसधारी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जिसमें वाइन के लिए न्यूनतम सात *प्रतिशत* अल्कोहल की मात्रा अनिवार्य है। 5 अप्रैल 2019 को, आइएमएफएल अनुभाग ने उपरोक्त ब्रांड की बिक्री/खरीद को रोकने का प्रस्ताव दिया क्योंकि कंपनी ने गलत दस्तावेजों पर ब्रांड को वाईन श्रेणी के तहत पंजीकृत किया था, क्योंकि ब्रांड में अल्कोहल की मात्रा केवल 5 *प्रतिशत* v/v थी, जिससे कि उपभोक्ताओं के साथ-साथ विभाग को भी गुमराह किया जा रहा था। आबकारी आयुक्त ने 10 अप्रैल 2019 को प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि, 10 अप्रैल 2019 को कार्रवाई शुरू करने के बाद भी 1128 बोतलों के लिए छः परिवहन परमिट (10 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक) जारी किए गए थे।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मामला विचाराधीन है और आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार इसका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

अनुशंसा 5.6: बिना उचित परिश्रम और गुणवत्ता परीक्षण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी करने और लाइसेंसधारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद भी परिवहन परमिट देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए।

5.7 पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर लाइसेंस का अनियमित निर्गमन

वर्ष 2018-19 के लिए इंडो स्पिरिट बेवरेजेज (एल1 लाइसेंसधारी) द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों की जांच करने पर यह पाया गया कि लाइसेंसधारी ने शराब के तीन ब्रांडों (ब्रो कोड 5, ब्रो कोड 10 और ब्रो कोड 15) के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिये प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की थी। हालांकि आबकारी विभाग इसका पता लगाने में विफल रहा और नवीनतम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर जोर नहीं दिया।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मामला विचाराधीन है और आबकारी अधिनियम/ नियमों के अनुसार इसका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

5.8 निष्कर्ष

लाइसेंसधारियों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट लाइसेंस जारी करने के लिए ब्रांड पंजीकरण के समय प्रस्तुत की गई थी। लाइसेंस जारी करते समय विभाग बीआईएस मानदंडों के साथ प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टों के अनुपालन की जांच करने में विफल रहा। आबकारी विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट के उचित सत्यापन का अभाव दिल्ली में आपूर्ति की जा रही शराब की गुणवत्ता को लेकर चिंता पैदा करती है। लाइसेंस जारी करते समय उपयोग किये गये पानी की गुणवत्ता, हानिकारक तत्वों, सूक्ष्म जीवों, सटीक मिथाइल अल्कोहल मात्रा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अलावा कुछ परीक्षण प्रयोगशालाएं जिन्होंने लाइसेंसधारियों के लिए गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं, वे एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे जो कि एफएसएसएआई मानदंडों के अनुसार अनिवार्य है।

विभाग द्वारा, लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली परीक्षण रिपोर्ट तथा शराब की नियमित खेप की जांच के लिए कोई चेकलिस्ट/एसओपी तैयार नहीं किया गया था।